भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2427

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

2427. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वित्तीय वर्ष में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कितनी है;

(ख) भारतमाला परियोजना में देरी के मुख्य कारण क्या हैं तथा सरकार द्वारा इसके पूरा होने के लिए क्या संशोधित समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) वर्तमान में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा उनके पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) मौजूदा राजमार्गों का समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने तथा गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात 2019-20 से 2023-24 के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की लंबाई अनुबंध में संलग्न है।

(ख) भारतमाला परियोजना चरण-I के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी भूमि अधिग्रहण (एलए) सहित निर्माण-पूर्व गतिविधियों में देरी, ठेकेदारों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों, अप्रत्याशित घटनाएँ और निर्माण सामग्री की कमी आदि के कारण कई चुनौतियाँ आ रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने और परियोजना के क्रियान्वयन में तेज़ी लाने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज़ करना, वन और पर्यावरण विभाग से अनापत्ति मंज़ूरी में तेज़ी लाने के लिए परिवेश पोर्टल का पुनरुद्धार करना, रेलवे से आरओबी/आरयूबी के लिए जीएडी की ऑनलाईन मंज़ूरी को सक्षम बनाना और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल हैं। सरकार इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रही है। शेष चल रहे कार्यों को पूरा करने की संशोधित समय-सीमा वित्तीय वर्ष (एफवाय) 2027-28 है।

भारतमाला परियोजना के चरण-I के अंतर्गत नई स्वीकृतियां को 16 नवंबर, 2023 से रोक दिया गया है।

(ग) सरकार ने राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग से, चल रही परियोजनाओं में बाधाओं/अड़चनों की समीक्षा और समाधान के तंत्र का लाभ उठाकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही, नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने और पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है।

(घ) भारतमाला के अंतर्गत परियोजना के तहत 2,504 किलोमीटर लंबे 5 एक्सप्रेसवे की परिकल्पना की गई थी। इनमें से 2,417 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और फरवरी, 2025 तक 1,842 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है, जबकि कुछ खंड में कार्य चालू भी हो चुका हैं।

(ड.) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एमएंडआर) को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों का एमएंडआर, जहां विकास कार्य शुरू हो चुके हैं या संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/ संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) संविदा दिए गए हैं, दोष दायित्व अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही/ठेकेदारों की जिम्मेदारी है। इसी तरह, टीओटी (टोल, संचालन और स्थानांतरण) और इनविट (अवंसंरचना निवेश ट्रस्ट) के तहत किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के लिए, एमएंडआर जिम्मेदारी रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही की है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, सरकार ने निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

सड़क की स्थिति में चिन्हित किए गए दोषों/मुद्दों की मरम्मत के साथ-साथ अन्य रखरखाव/मरम्मत कार्य ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाते हैं। दोषी ठेकेदार/रियायतग्राही के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुबंध दस्तावेजों में शामिल दंड प्रावधानों के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

अनुबंध

"राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण" के संबंध में श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा दिनांक 13.03.2025 को पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2427 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात 2019-20 से 2023-24 के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की लंबाई

वर्ष	लंबाई निर्मित (किमी में)
2019-20	10,237
2020-21	13,327
2021-22	10,457
2022-23	10,331
2023-24	12,349

*****